संख्या-138/2015/2087/26-3-2015-9(ज.जा.)/94टी.सी.

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः19 नवम्बर 2015

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना 'जनजातीय क्षेत्र उपयोजना' के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-95/01/ज0जा0वि0/2015-16, दिनांक-16.06.2015 एवं पत्रांक-111/01/ज0जा0वि0/2015-16, दिनांक-08.07.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना 'पाकेटप्लान तथा प्राइमेटिव ग्रुप्स के अंतर्गत विकास कार्यक्रमों का संचालन', 'बुक्सा आदिम जनजाति विकास परियोजना नजीबाबाद बिजनौर को अनुदान' एवं 'बिखरी आबादी वाली जनजातियों का कल्याण' के अंतर्गत किये गये आय-ब्ययक प्राविधान रूपया-187.54 लाख (रूपया एक करोड़ सत्तासी लाख चौवन हजार मात्र) के सापेक्ष निम्नलिखित विवरण के अनुसार रूपया-93.77 लाख (रूपये तिरानबे लाख सतहत्तर हजार मात्र) धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुये कार्ययोजना के अनुसार ब्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रूपये में)

अनुदान संख्या-81-आयोजनागत-लेखाशीर्षक	वर्ष 2015-16 में आय-व्ययक प्राविधान	स्वीकृत की जा रही धनराशि
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनागत-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0105-पाकेट प्लान तथा प्राइमेटिव ग्रुप्स के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों का संचालन-20-सहायताअनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	94.34	47.17
0106-बुक्सा आदिम जनजाति विकास परियोजना, नजीबाबाद बिजनौर को अनुदान-(100 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	13.20	6.60
0107-बिखरी आबादी वाली जनजातियों का कल्याण-(100 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	80.00	40.00
योग	187.54	93.77

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय इस सम्बन्ध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत गाईड लाइन/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपयोग कर लिया गया है और कोई धनराशि पी.एल.ए./बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। स्वीकृत की जा रही सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) कोषागार से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा जितनी धनराशि के तत्काल व्यय किये जाने की आवश्यकता हो। कोषागार से धनराशि आहरित कर पी.एल.ए./बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में जमा नहीं की जायेगी। अवशेष बची धनराशि समय से शासन को समर्पित की जायेगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबंधों तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय। व्यय उन्ही योजनाओ/मदों पर किया जाय जिसके धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अन्य योजना मदों पर व्यय कदापि नहीं किया जायेगा और न ही किसी प्रकार से धनराशि का व्यावर्तन किया जायेगा। योजना कार्यक्रमों के जिन मदों पर धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व शासन की पूर्व सहमति की आवश्यकता हो उसे सहमति प्राप्त कर लिये जाने के बाद ही धनराशि व्यय की जाये।

(5) प्रथम किश्त की सम्पूर्ण धनराशि उपभोग करने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त की स्वीकृति का प्रस्ताव उपभोग प्रमाण पत्र के साथ यथा-समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त योजना/कार्यक्रमों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-'2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-आयोजनागत-01-केन्द्र प्रायोजित योजना आयोजनागत-0105-पाकेट प्लान तथा प्राइमेटिव ग्रुप के अंतर्गत विकास कार्यक्रमों का संचालन (के.100%रा0%)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)0106-बुक्सा आदिम जनजाति विकास परियोजना, नजीबाबाद, बिजनौर को अनुदान (के.100%रा0%)- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) 0107-विखरी आबादी वाली जनजातियों का कल्याण-(के.100%रा0%)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0 संख्या-138/2015/2087(1)/26-3-2015 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-1/2
5- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2
6- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
7- गार्डफाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।